



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,

खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 24/10/2018

File No. Tour Programme/14/VC/2018/RU-III

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
पिपलानी, भोपाल (मध्य प्रदेश)

विषय: दिनांक 01.08.2018 से 04.08.2018 को माननीय उपाध्यक्ष, एवं सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भोपाल (मध्य प्रदेश) में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में की गए समीक्षा का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उर्झके, माननीय उपाध्यक्ष, एवं श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 01.08.2018 से 04.08.2018 तक भोपाल (मध्य प्रदेश) में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किए गए समीक्षा की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि समीक्षा रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

(आर के दुबे)

सहायक निदेशक

दूरभाष-24601346

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-भारत सरकार
बी.एच.ई.एल का दौरा प्रतिवेदन

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	1. सुश्री अनुसुईया उइके माननीया, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
	2. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
	3. श्री राघव चंद्रा, माननीय सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
	3. सुश्री दीपिका खन्ना अन्वेषण अधिकारी एवं प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय, अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, भोपाल मध्यप्रदेश
	4. श्री जितेन्द्र सोलंकी माननीया, उपाध्यक्ष वे सहायक निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनांक, वर्ष	दिनांक 02 अगस्त 2018
3. दौरा किये गये स्थान	बी.एच.ई.एल, भोपाल
4. मुख्य अधिकारी गण / व्यक्ति/संगठनों से मिले	निम्नानुसार
(i)	श्री डी.के ठाकुर, कार्यकारी निदेशक
(ii)	डा. एम हल्दर, मुख्य प्रबंधक (फीडर)
(iii)	श्री एम ईसादोर, मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन)
(iv)	सुश्री नीलम भोगाल, मुख्य प्रबंधक (वरिष्ठ इंजीनियर एवं एम एम)
(v)	श्री अमिताभ दुबे, सहायक मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन)
(vi)	श्री अनंत ठोप्पो, सहायक मुख्य प्रबंधक (टीएडी)
(vii)	श्री रविन्द्र आईद, सहायक मुख्य प्रबंधक (एमईडी) एवं एल.ओ. (एसटी)
(viii)	श्री बिनोय कुमार, सहायक मुख्य प्रबंधक (एच आर एम)
व्यक्तिगत	
(i)	श्री जे पी एस कडोपे, अध्यक्ष, आदिम सुमदाय कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बी.एच.ई.एल भोपाल
(ii)	श्री जगदीश मसराम, सदस्य, आदिम सुमदाय कर्मचारी कल्याण समिति, बी.एच.ई.एल भोपाल
(iii)	श्री राजकुमार ईरापांची, सदस्य, आदिम सुमदाय कर्मचारी कल्याण समिति, बी.एच.ई.एल भोपाल
(iv)	श्री द्वप सिंह, सदस्य, आदिम सुमदाय कर्मचारी कल्याण समिति, बी.एच.ई.एल भोपाल

(v)	श्री भीम सिंह धुर्वे, सदस्य, आदिम सुमदाय कर्मचारी कल्याण समिति, बी.एच.ई.एल भोपाल
(vi)	श्री एम.के.भगत, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(vii)	श्री लालजीत ओरान, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(viii)	सुश्री कलारा टोप्पो, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(ix)	श्री एन एस कुशरे, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(x)	श्री एस आर भगत, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(xi)	श्री खेरा बुदाला, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(xi)	श्री बंसीधर लकरा, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(xii)	श्री विनोद प्रकाश, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
(xiii)	श्री जय प्रकाश, सदस्य, बी.एच.ई.एल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल



बैठक से पूर्व आयोग के दल द्वारा भेल भोपाल के GGB, UHV, NTB तथा CIM ब्लॉक का निरीक्षण किया गया ।

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

- A. बी.एच.ई.एल, भोपाल के कर्मचारी एसोसिएशन के जनजाति प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से अवगत होना।
- B. बी.एच.ई.एल भोपाल में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जनजातियों के रोस्टर बिंदुओं में अनुसूचित जनतातियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी लेना।

दिनांक 02 अगस्त 2018

दिनांक 02 अगस्त 2018 को सुश्री अनुसुईया उर्फे के माननीय उपाध्यक्ष ने बी.एच.ई.एल भोपाल का दौरा किया। बी.एच.ई.एल भोपाल के कार्यालय में अनुसूचित जनजाति कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली तथा उनकी सभी समस्याओं को सुना। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने झापन दिए गए। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर माननीय महोदया द्वारा कार्यकारी निदेशक तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली। बी.एच.ई.एल भोपाल द्वारा पॉवरपाइंट प्रेजेंटेशन दिए

गए। जिससे माननीया उपाध्यक्ष महोदया उनके कार्यकलापों से अवगत हुई। अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद, भोपाल के साथ उनके क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के नियुक्ति, पदोन्नति, आवास तथा अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई।




1. माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भेल भोपाल में अनुसूचित जनजाति की एक अलग एसोसिएशन है, यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई।



बी.एच.ई.एल के अनु.जनजाति कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक दिनांक 02-08-2018


हरी कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/ Govt. of India


सुश्री अनुसूइया उड़के/Miss Anusuya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/ Govt. of India

क्र.	विषय	श्री डी.के.छकुर, कार्यकारी निदेशक, बी.एच.ई.एल तथा अधिकारियों के साथ की गई चर्चा की जानकारी
01	अनुसूचित जनजाति के वे कर्मचारी जिनका असाधारण प्रदर्शन रहा है उन्हें मैरिट के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए तथा अन्य कर्मचरियों को रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की पात्रता मिलनी चाहिए।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति के वे कर्मचारी जिनका असाधारण प्रदर्शन रहा है उन्हें मैरिट के आधार पर पदोन्नति दी गई है तथा इसे रोस्टर में भी Own Merit के आधार पर दर्शाया गया है, रोस्टर पांईट से अलग रखा गया है। इस वर्ष भी 02 अनुसूचित जनजातियों के कर्मचरियों को Own Merit के आधार पर पदोन्नति दी गई है।
02	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/अधिकारियों को कम्प्युटर ज्ञान, वैयक्तिक विकास, संचार और अभिव्यक्ति तथा नेतृत्व विकास का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाना चाहिए।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि भविष्य में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रबंधन नेतृत्व विकास तथा वैयक्तिक विकास सबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर करवाता है जिसमें सभी वर्गों के कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित होते हैं।
03	महाप्रबंधक बी.एच.ई.एल के पद पर अभी तक अनुसूचित जनजाति के कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि पूर्व में श्री आर के सिंह, श्री जैमन मिन्ज तथा श्री रैमान मिन्ज को मुख्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई है।
04	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विशेष रूप से विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु भेजा जाना चाहिए।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि भविष्य में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विशेष रूप से विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा कार्य हेतु भेजे जाने पर ध्यान दिया जाएगा।
05	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थान दिया जाए।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की एसोसिएशन को उनके कल्याण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए एक अलग से कार्यालय स्थल दिया गया है। कार्यालय स्थल की परिधि में खुला मैदान है जिसमें एसोसिएशन अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर भवन भी दिया गया है जिसके सांस्कृतिक हॉल में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों सम्मिलित रूप से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

06	भेल भोपाल में बिरसा मुण्डा की एक प्रतिमा स्थापित की जाए।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि यह निर्णय शीघ्र ही कॉर्पोरेट आफिस के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
07	दिनांक 09 अगस्त 2018 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित किया जाए।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि यह निर्णय कॉर्पोरेट आफिस के मार्गदर्शन में किया जाएगा। यह एक नीतिगत बिंदु है।
08	आदिवासी गृह निर्माण समिति को भूमि दिए जाने के संबंध में।	प्रबंधन द्वारा बताया गया कि पूर्व में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की गृह समिति को भूमि प्रदान की गई थी। वर्तमान में किसी गृह समितियों को भूमि प्रदान नहीं की जा रही है। फिर भी अनुसूचित जनजाति की एसोसिएशन की इस मांग से कॉर्पोरेट आफिस को अवगत कराया जाएगा।
09	<p>आयोग में पूर्व से प्रचलन में रहे निम्नलिखित प्रकरणों पर भेल प्रबंधन द्वारा कार्यवाही किए जाने के संबंध में।</p> <p>1. श्री एस के पोर्ट, 1280570, वाहनचालक, घेड-1, के विरुद्ध में अनुशासनात्मक मामला तथा श्री एस एस सिंह राज, 1273663, आर्टिजन, घेड-1, टीएडी के विरुद्ध में अनुशासनात्मक मामला।</p> <p>2. श्री एस के मरकाम, 3787656, डीजीएम, एमईडी, के विरुद्ध में पदोन्नति मामला तथा श्री आर जी बकोरिया, 1289284, टेक्नीशियन, टीएडी के विरुद्ध में पदोन्नति मामला।</p> <p>3. श्री भीम धुर्वे, 1284207, असिस्टेंट इंजीनियर, घेड-2, अम्बेडकर भवन के संबंध में।</p>	<p>1. श्री एस के पोर्ट श्री तथा श्री एस एस सिंह राज के प्रकरणों के संबंध में प्रबंधन ने बैठक के दौरान आश्वासन दिया कि दोनों कर्मचारियों का शीघ्र ही निलंबन कार्यालयीन कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात समाप्त कर दिया जाएगा। बैठक के उपरांत दिनांक 18-08-2018 को श्री एस एस सिंह राज एवं दिनांक 04-09-2018 को श्री एस के पोर्ट का निलंबन आदेश वापिस लिया गया। दोनों ही आदेशों की प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न है।</p> <p>(संलग्नक 1 एवं 2)</p> <p>2. श्री एस के मरकाम तथा श्री आर जी बकोरिया की पदोन्नति का प्रकरण आगामी विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा।</p> <p>3. श्री भीम धुर्वे द्वारा अम्बेडकर भवन में अनुसूचित जनजाति की एसोसिएशन की भागीदारी के संबंध में सभी पक्षों पर ध्यान रखते हुए सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।</p>

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

निर्णय
सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuya Uike
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

06. अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा : प्रतिवेदन के उन सभी बिंदुओं पर जिन पर प्रबंधन ने आयोग को आश्वासन दिया है, पर कार्यवाही कर आयोग को एक माह के भीतर अवगत करावें।

( श्री हरिकृष्ण डामोर)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौय करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor

सदस्य/Member

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

भारत सरकार/Govt. of India

नई दिल्ली/New Delhi

( सुश्री अनुसुईया उइके)

उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौय करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuya Uike

उपाध्यक्ष/Vice Chairperson

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

भारत सरकार/Govt. of India

नई दिल्ली/New Delhi